



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से लैंगिक अपराध के मामले में एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 24.07.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से लैंगिक अपराध के मामले में एक अभियुक्त को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 10.08.2020 को अभियुक्त नितिन पुत्र देवेन्द्र उर्फ बिल्लू निवासी ग्राम बछलौता थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लैंगिक अपराध के मामले में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 305/2020 धारा 363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 28.08.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 24.07.2025 में अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री महाराज सिंह एवं पैरोकार म0का0 मोनू मलिक व कोर्ट मोहरीर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।

